R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड IV ◆ अंक 7
जनवरी 2008

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

शिक्षा ऋण पर जोखिम भार

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के प्रयोजन के लिए *शिक्षा ऋण* को गैर-उपभोक्ता ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, शिक्षा ऋण पर लागू होनेवाला जोखिम भार निम्नानुसार होगा:

क) बासेल I ढांचे के अंतर्गत वर्तमान में लागू 125 प्रतिशत के बजाय 100 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।

ख) बासेल II ढांचे के अंतर्गत शिक्षा ऋण को 27 अप्रैल 2007 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार विनियामक खुदरा संविभाग का एक घटक समझा जाएगा जिस पर वर्तमान में लागू 125 प्रतिशत के बजाय 75 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा।

पूर्व में, पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए शिक्षा ऋण को *उपभोक्ता ऋण* के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता था और तदनुसार उनपर 125 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होता था।

विशिष्ट निर्यात क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त ब्याज अनुदान

यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों को पोतलदानपूर्व तथा पोतलदानोत्तर ऋण में2 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान (पूर्व में दिए गए 2 प्रतिशत के अलावा) प्रदान किया जाए:

- चमड़ा तथा चमड़े के विनिर्माण
- समुद्री उत्पाद
- कृत्रिम धागे को छोड़कर आरएमजी और कार्पेट सहित विद्यमान योजना के अंतर्गत आनेवाले कपड़ों की सभी श्रेणियां
- हस्तशिल्प

अत: बैंक अब इन क्षेत्रों के संबंध में 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व ऋण तथा 90 दिन तक के पोतलदानोत्तर ऋण की बकाया राशि पर न्यूनतम मूल उधार दर(बीपीएलआर) से 6.5 प्रतिशत से कम अनधिक ब्याज दर लगायेंगे। तथापि, कुल अनुदान इस शर्त के अधीन होगा कि अनुदान के बाद ब्याज दर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत कृषि क्षेत्र पर लागू 7 प्रतिशत की दर से कम नहीं हो।

यह व्यवस्था 1 नवंबर 2007 से 31 मार्च 2008 तक वैध रहेगी।

ऋण की अवधि पोतलदानपूर्व के लिए 180 दिन तथा पोतलदानोत्तर के लिए 90 दिन होगी। केवल कार्पेट क्षेत्र के लिए पोतलदानपूर्व के लिए अवधि 270 दिन तथा पोतलदानोत्तर के लिए 90 दिन (अन्य क्षेत्रों के समान) होगी।

1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक की अवधि के लिए निर्यातकों की निर्दिष्ट श्रेणियों को दिए गए रुपया निर्यात ऋण के संबंध में पूर्व में रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जुलाई 2007 और अक्तूबर 2007 में 2 प्रतिशत बिन्दु प्रति वर्ष के ब्याज अनुदान के प्रावधान के संबंध में सूचित किया था।

मूलभूत सुविधा क्षेत्र को ऋण प्रवाह

मूलभूत सुविधा क्षेत्र को ऋण प्रवाह में वृद्धि हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर मूलभूत सुविधा गतिविधियों में शामिल कंपनियों के दर-निर्धारणहीन बॉण्डों में निवेश करने की अनुमति दी गई है।

अनर्जक परिसंपत्तियाँ - न्यायालय से सहमति आदेश प्राप्त करना

रिज़र्व बैंक ने अपने पूर्व अनुदेशों को दुहराते हुए बैंकों को सूचित किया कि वे अनिवार्यत: यह सुनिश्चित करें कि किसी मामले को न्यायालय/ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)/ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर) के समक्ष एक बार दर्ज करने के बाद उधारकर्ता के साथ जो भी समझौता किया जाता है, वह संबंधित न्यायालय/ऋण वसूली न्यायाधिकरण/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सहमति आदेश की प्राप्ति के अधीन है।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
शिक्षा ऋण पर जोखिम भार	1
विशिष्ट निर्यात क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त ब्याज अनुदान	1
मूलभूत सुविधा क्षेत्र को ऋण प्रवाह	1
अनर्जक परिसंपत्तियाँ - न्यायालय से सहमति आदेश प्राप्त करना	1
संरचनात्मक क्षेत्र ऋण की परिभाषा का विस्तार	2
शहरी सहकारी बैंक	
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्य में संशोधन	2
स्वर्ण ऋण	2
संरचनात्मक क्षेत्र ऋण और संरचनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल मदों की सूची	2
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
प्रायोजक/वाणिज्य बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियाँ	3
पूँजी पर्याप्तता मानदण्ड लागू किया जाना	3
आरक्षित निधि में से विनियोजन	3
फेमा	
सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा म्युचुअल फण्डों/ अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताओं को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करना	3
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ	
जमाराशियों की विलंब से अदायगी करने पर ब्याज का भुगतान	4
ग्राहक सेवा	
ग्राहकों की रक्षा के लिए किए गए उपाय	4
वित्तीय समावेशन आधारित सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने इ-पोर्टल शुरू किया गया	3

संरचनात्मक क्षेत्र ऋण की परिभाषा का विस्तार

संरचनात्मक क्षेत्र ऋण की परिभाषा के दायरे का विस्तार करते हुए उसमें गैस/कच्चा तेल/पेट्रोलियम की पाइपलाइन्स लगाने और/अथवा उनके रखरखाव संबंधी परियोजनाओं के लिए बैंकों तथा चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई ऋण सुविधाओं को शामिल किया गया। कृपया *संरचनात्मक क्षेत्र ऋण* की संशोधित परिभाषा के लिए नीचे दिया गया बॉक्स देखें।

शहरी सहकारी बैंक

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्य में संशोधन

शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्य को समायोजित बैंक ऋण (कुल ऋण तथा अग्रिम और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात बांडों में किया गया निवेश) के 40 प्रतिशत तक अथवा पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तुलन पत्रेतर ऋण जोखिम (ओबीई) की राशि के बराबर ऋण, जो भी अधिक हो, तक संशोधित किया गया। संशोधित लक्ष्य 01 अप्रैल 2008 से लागू होगा ।

रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 1983 में तत्कालीन उप गवर्नर डॉ. एम.वी. हाते की अध्यक्षता में शहरी सहकारी बैंकों के लिए गठित स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए निर्धारित लक्ष्य को शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू किया गया था । समिति ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की थी कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपने कुल अग्रिमों का 60 प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को प्रदान किया जाना चाहिए । शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति, 1999 (माधवराव समिति) द्वारा इस सिफारिश को पुन: अनुमोदित किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत लक्ष्य को, जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए कम जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) तथा शहरी सहकारी बैंकों को आयकर से छूट के कारण कम करने की आवश्यकता नहीं है ।

वर्ष 1983 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य शुरू करने के समय से अब तक शहरी सहकारी बैंकों के विनियामक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और यह विशेष रूप से जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) तथा आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों के मामले में कमोबेश वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य हो गया है । शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब तक आयकर से ली जाती रही छूट को भी वापस ले लिया गया है । इसके अतिरिक्त, शहरी सहकारी बैंकों की निवल मांग एवं मीयादी देयताओं पर सीआरआर तथा एसएलआर के द्वारा निधियों के निम्नतर सांविधिक पूर्वक्रय अधिकार के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में उनके लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों का ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने का तर्क हाल के वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों के लिए सीआरआर तथा एसएलआर संबंधी अपेक्षाओं में क्रमिक रूप से की गई कमी को ध्यान में रखते हुए कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है ।

स्वर्ण ऋण

शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन एकमुश्त चुकौती विकल्प के साथ स्वर्ण ऋण की स्वीकृति दें -

(i) मंजूर किए गए स्वर्ण ऋण की राशि कभी भी 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) मंजूरी की तारीख से ऋण की अवधि 12 माह से अधिक न हो।

(iii) इस खाते पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाया जाए लेकिन वह मूलधन के साथ भुगतान के लिए मंजूरी की तारीख से 12 माह के अंत में ही देय होगा।

(iv) शहरी सहकारी बैंकों को ऐसे ऋणों के मामले में एक न्यूनतम मार्जिन बनाई रखनी चाहिए और तदनुसार प्रतिभूति (स्वर्ण / स्वर्णाभूषण) के मूल्य, मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव तथा ऋण की अवधि के दौरान लगने वाले ब्याज आदि को ध्यान में रखते हुए ऋण सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

(v) ऐसे ऋण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मौजूदा मानदंडों से नियंत्रित होंगे तथा मूलधन एवं ब्याज के एक बार अतिदेय हो जाने की स्थिति में उन पर लागू होंगे।

(vi) यदि निर्धारित मार्जिन नहीं बनाई रखी जा रही हो तो इस खाते को चुकौती की तारीख से पहले भी अनर्जक आस्ति (अवमानक श्रेणी) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

संरचनात्मक क्षेत्र ऋण और संरचनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल मदों की सूची

ऋणदाताओं (अर्थात् बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) द्वारा किसी संरचनात्मक सुविधा के लिए किसी भी रूप में उपलब्ध कराई गई कोई ऋण सुविधा, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है, *संरचनात्मक क्षेत्र ऋण* की परिभाषा के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में, किसी ऐसी उधारकर्ता कंपनी को दी गई ऋण सुविधा जो निम्नलिखित कार्यों में संलग्न हो :

★ विकसित करना या

★ परिचालन और उसका रखरखाव करना, या

★ ऐसी मूलभूत सुविधा जो एक परियोजना हो, को विकसित करना, परिचालित करना और उसका रखरखाव करना तथा उसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं -

(i) कोई सड़क जिसके अंतर्गत टोल रोड, कोई पुल या रेल प्रणाली शामिल है;

(ii) कोई राजमार्ग परियोजना जिसके अंतर्गत राजमार्ग परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में आने वाली अन्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं;

(iii) कोई बंदरगाह, हवाई अड्डा, देशी जलमार्ग या देशी बंदरगाह;

(iv) कोई जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल आपूर्ति प्रणाली, सफाई और मल-जल निकास प्रणाली या ठोस कचड़ा निपटान प्रणाली;

(v) दूर संचार सवाएं, चाहे बेसिक या सेल्युलर, जिसके अंतर्गत रेडियो पेजिंग, देशी सैटेलाइट सेवाएं (अर्थात् : दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्वाधिकृत और परिचालित सैटेलाइट), ट्रंकिंग नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं;

(vi) कोई औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र;

(vii) विद्युत उत्पादन या विद्युत उत्पादन और वितरण;

(viii) नई प्रेषण और वितरण लाइनों का नेटवर्क डालकर विद्युत का प्रेषण या वितरण;

(ix) ऐसी परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य जिनमें कृषि प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्र के लिए निविष्टियों की आपूर्ति शामिल हो;

(x) प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं (जैसे फल, सब्जियाँ और फूल) के परिरक्षण और भंडारण से संबंधित निर्माण तथा गुणवत्ता के लिए परीक्षण सुविधाएँ;

(xi) शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों का निर्माण;

(xii) गैस, कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन्स लगाना और/अथवा उनका रखरखाव; और

(xiii) इसी प्रकार की कोई अन्य बुनियादी सुविधा।

इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया गया कि स्वर्ण / स्वर्णाभूषण की संपार्श्विक प्रतिभूति पर मंजूर फसल ऋणों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा ऐसे ऋणों पर प्रावधानीकरण संबंधी मौजूदा मानदंड लागू रहेंगे।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से इस संबंध में नीतियाँ निर्धारित करे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रायोजक/वाणिज्य बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियाँ

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि कृषि और संबद्ध कार्यकलाप क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वाणिज्य बैंकों/प्रायोजक बैंकों द्वारा दिए गए सभी ऋणों को वाणिज्य बैंकों/प्रायोजक बैंकों की बहियों में कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाए। इसके फलस्वरूप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंकों/प्रायोजक बैंकों से लिए गए ऋण की निधियों में से दिए गए उधार को अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के एक भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत उपलब्धि के स्तर की गणना के प्रयोजन के लिए ऐसे उधार को अपने बैंक ऋण के एक भाग के रूप में भी शामिल नहीं करना चाहिए।

पूँजी पर्याप्तता मानदण्ड लागू किया जाना

संपूर्ण प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पूंजीगत ढांचे का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि वे अपने तुलन पत्रों में 31 मार्च 2008 तक की स्थिति का अपना सीआरएआर स्तर प्रस्तुत करें।

तदनुसार, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 31 मार्च 2008 तक की स्थिति का अपना सीआरएआर प्रस्तुत करें और उसके बाद हर वर्ष अपने तुलनपत्रों में *लेखे पर नोट* के रूप में अपना सीआरएआर प्रस्तुत करें।

प्रस्तावित सीआरएआर की रूपरेखा के अंतर्गत, तुलनपत्र की परिसंपत्तियों और गैर-निधिकृत/तुलनपत्र से इतर मदों को भारांक दिए जाएंगे और बैंकों को कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों और तुलनपत्र से इतर अन्य निवेशों की तुलना में अपनी पूंजीगत निधियों के अनुपात की गणना करनी होगी।

इसके अलावा, निर्धारित फार्मेट में रिज़र्व बैंक/नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें पूंजीगत निधियों और जोखिमपूर्ण आस्तियों का अनुपात दर्शाया गया हो। इस विवरणी पर दो अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्हें रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली सांविधिक विवरणियों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

आरक्षित निधि में से विनियोजन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे सांविधिक आरक्षित निधि या किसी अन्य आरक्षित निधि में से कोई विनियोजन करने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि :

i. किसी अवधि में, प्रावधानों और बट्टे सहित पता चले सभी खर्चों को भले ही वे अधिदेशी हों या विवेकपूर्ण हों, उस अवधि के लाभ-हानि लेखा में "अबोव दी लाइन" (अर्थात् लाभ निकालने से पहले) मद के रूप में दर्शाया जाना चाहिए ।

ii. जहां आरक्षित निधि में से निकासी रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से की गई हो, वहां उसे "बिलो दी लाइन" (अर्थात् वर्ष के लिए लाभ /हानि निकालने के बाद) मद के रूप में दर्शाया जाए ; और

iii. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तुलन पत्र के "नोट्स ऑन आकाउंट्स" में आरक्षित निधि में से की गई ऐसी निकासी को समुचित रूप से दर्शाया जाता है ।

आपको यह ज्ञात होगा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के साथ पठित धारा 17 (2) के अनुसार जब कोई बैंक आरक्षित निधि में से कोई राशि या राशियों का विनियोजन करता है तो वह ऐसा विनियोजन करने की तारीख से 21 दिनों के अंदर विनियोजन करने से संबंधित परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देते हुए इस तथ्य की सूचना रिज़र्व बैंक को देगा।

फेमा

सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा

इक्विटी शेयरों की मंदड़िया बिक्री की अनुमति भारत सरकार और सेबी के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के सब-अकाउंट्स को भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयर की मंदड़िया बिक्री, उधार देने और उधार लेने की अनुमत दी जाए। भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयरों की मंदड़िया बिक्री, उधार देना और उधार लेना समय-समय पर रिज़र्व बैंक और सेबी/अन्य विनियामक एजेंसियों द्वारा इस संबंध में यथानिर्धारित शर्तों के अधीन होगा। तथापि, अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(i) इक्विटी शेयरों की मंदड़िया बिक्री और उधार लेने / उधार देने में विदेशी संस्थागत निवेशकों की सहभागिता चालू विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अधीन होगी तथा उन इक्विटी शेयरों के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी शेयरों की मंदड़िया बिक्री को अनुमति नहीं दी जाएगी जो रिज़र्व बैंक प्रतिबंधित सूची और /अथवा सतर्कता सूची में हैं।

(ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी शेयर के उधार केवल मंदड़िया बिक्री में सुपुर्दगी के लिए होगा।

(iii) विदेशी संस्थागत निवेशक केवल नकदी रूप में मार्जिन / संपार्श्विक रखेंगे। ऐसे मार्जिन / संपार्श्विक राशि पर विदेशी संस्थागत निवेशक को कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा।

म्युचुअल फण्डों/ अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताओं को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करना

म्युचुअल फण्डों द्वारा ऋण प्रदान करना

सेबी (म्युच्युअल फंड) विनियमावली, 1996 के पैरा 44(2) के अनुसार कोई भी म्युच्युअल फंड यूनिटों की पुनर्खरीद, यूनिटों का मोचन अथवा यूनिट

वित्तीय समावेशन आधारित सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने इ-पोर्टल शुरू किया गया

श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 दिसंबर 2007 को औपचारिक रूप से बैंक के वित्तीय समावेशन समर्थित सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आइसीटी) पर बैंक के प्रयासों का इ-पोर्टल (www.ict.cab.org.in) शुरू किया। यह इ-पोर्टल पुणे में स्थित रिज़र्व बैंक की प्रथम प्रशिक्षण संस्था, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) द्वारा विकसित किया गया है। रिज़र्व बैंक हमेशा बैंक सुविधा-रहित जनसंख्या तक पहुंचने के लिए बैंकों को सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आइसीटी) का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। इस इ-पोर्टल को इस क्षेत्र में बैंकों के बीच अपनी जानकारी और अनुभव बाँटने का एक जरियाँ के रूप में देखा जा रहा है और इसीलिए अबतक सेवा रहित जनसंख्या को मूल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में कई गुना बढ़ावा देने में सहायक होने की क्षमता है।

इस इ-पोर्टल में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए नीति प्रयासों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनका कार्यान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, संबंधित लेख/अनुसंधान पेपर, मामला अध्ययन, प्रस्तुतीकरण और विडियो क्लिप आदि सूचना संग्रह, आरंभ की जानेवाली विभिन्न संबंधित नयी गतिविधियाँ और समाचार के विषय, सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समाधान और अन्य उपयोगी जानकारी जैसे विभिन्न उपयोगी अनुभाग है।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

धारकों को ब्याज अथवा लाभांश की अदायगी के लिए म्युच्युअल फंडों की अस्थायी नकदी की आवश्यकता की पूर्ति को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजन के लिए उधार नहीं लेगा। साथ ही, म्युच्युअल फंड संबंधित योजना की निवल आस्ति के 20 प्रतिशत से अधिक तथा छह महीने से अधिक अवधि के लिए ऋण नहीं लेगा। सेबी के दिशानिर्देशों में यह निहित है कि म्युच्युअल फंडों को अपनी पुनर्खरीदों/मोचन प्रतिबद्धताओं को निजी संसाधनों से पूरा करना चाहिए और केवल अस्थायी नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही उधार लेना चाहिए। उपर्युक्त को देखते हुए बैंकों को सूचित किया जाता है कि म्युच्युअल फंडों को वित्त प्रदान करते समय विवेक से काम लें और योजना की निवल आस्ति के 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर यूनिटों की पुनर्खरीद/मोचन के प्रयोजन हेतु तथा 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए केवल अस्थायी नकदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए म्युच्युअल फंडों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करें। ऐसा वित्त यदि ईक्विटी उन्मुख फंडों को दिया गया तो वह बैंकों के पूंजी बाजार निवेश का भाग होगा।

अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताओं के निर्गम

बैंक म्युच्युअल फंडों की ओर से तथा शेयर बाजार के पक्ष में इन ग्राहकों द्वारा किये गये लेनदेनों को सरल बनाने के लिए अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं (आइपीसी) जारी करते हैं । चूंकि शेयर की खरीद के लिए आइपीसी गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा के प्रकार के हैं और इन्हें पूंजी बाजार के परिचालन के प्रयोजन हेतु जारी की गई गारंटियों के समान माना जाना है। अतः बैंकों के ऐसे निवेश उनके पूंजी बाजार निवेश का भाग होंगे । बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जैसी संस्थाओं को बैंकों से आइपीसी जैसी निधि अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं है । इस अनुदेशों की तारीख से 6 महीने की एक संक्रमण अवधि का प्रावधान किया जा रहा है ताकि बैंक उपर्युक्त आवश्यकताओं का अनुपालन कर सकें।

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ

जमाराशियों की विलंब से अदायगी करने पर ब्याज का भुगतान

जमाकर्ताओं के हित में रिज़र्व बैंक ने अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) को सूचित किया है कि जहाँ जमाकर्ता द्वारा दावा करने पर कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी परिपक्वता पर देय ब्याज सहित जमाराशि की अदायगी में विफल होती है, वहाँ कंपनी निम्नवत ब्याज अदा करेगी।

i. यदि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से न्यूनतम दो माह पूर्व परिपक्वता की सूचना जमाकर्ता को दे देती है और उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हों जैसे जमाकर्ता से प्राप्त पावती हो किंतु जमाकर्ता परिपक्वता पर दावा प्रस्तुत करने में विफल हो तो कंपनी दावे की तारीख से अदायगी की तारीख तक जमाराशि पर देय ब्याज दर से ब्याज सहित परिपक्वता की राशि अदा करेगी।

ii. यदि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से 2 माह पूर्व परिपक्वता की सूचना जमाकर्ता को नहीं देती है तो जब जमाकर्ता दावा करेगा तब परिपक्वता की तारीख से अदायगी की तारीख तक जमाराशि पर देय ब्याज दर से ब्याज सहित परिपक्वता की राशि अदा करेगी।

ग्राहक सेवा

ग्राहकों की रक्षा के लिए किए गए उपाय

बैंक ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने,ऋणों की वसूली के लिए बैंक एजेंटों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किए जाने से रोकने के लिए भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपाय किए गए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रकार हैं-

- रिज़र्व बैंक ने *वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में प्रबंध जोखिम और आचार संहिता* पर बैंकों को अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- रिज़र्व बैंक ने *उधारदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता* की रचना की है।
- रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुदेश जारी किए हैं।
- भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) द्वारा सृजित ग्राहकों के लिए बैंकों की प्रतिबद्धता का कोड अन्य बातों के साथ-साथ यह उपलब्ध कराता है कि बैंक की वसूली नीति विनम्रता, निष्पक्ष व्यवहार और समझाने-बुझाने पर तैयार की जानी चाहिए और बैंक कानून के संगत एक सुरक्षा पुनर्ग्रहण नीति का पालन करे।
- भारतीय बैंक संघ (आइबीए) ने *बकायों की वसूली और सुरक्षा के पुनर्ग्रहण के लिए एक आदर्श संहिता* तथा *क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता* भी तैयार किया है जिसे अंगीकरण और कार्यान्वयन के लिए बैंकों को अनुशंसित किया गया है।
- उपर्युक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में पीडित ग्राहक रिज़र्व बैंक ग्राहक सेवा विभाग, वित्तीय सेवा विभाग का बैंकिंग प्रभाग, संबंधित बैंकों के सार्वजनिक शिकायत कक्ष, बैंकिंग लोकपाल अथवा जिला उपभोक्ता मंच के पास शिकायतें दर्ज कर सकते है। तथापि, पीड़ित ग्राहक स्थानीय पुलिस के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करते है कि बैंक अपने एजेंटों की भूल-चूक के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। तथापि, रिज़र्व बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए आर्थिक दण्ड लगाये।
- रिज़र्व बैंक संबंधित बैंक के पास शिकायतों को भेजता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा (दिनांक 30 अक्तूबर 2007) में रिज़र्व बैंक ने यह पाया है कि हाल की विगत अवधि में वसूली एजेंटों को शामिल करने के लिए बैंकों के विरूद्ध कानूनी विवादों की संख्या में हुई वृद्धि की दृष्टि से यह महसूस किया गया कि प्रतिकूल प्रचार से संपूर्ण रूप से बैंकिंग क्षेत्र के लिए गंभीर ख्याति जोखिम उत्पन्न हो सकते थे। रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे वसूली एजेंटों को काम पर लगाते समय निर्धारित विशिष्ट विचारों का पालन करें और यह स्पष्ट किया है कि बैंक के किसी वसूली एजेंट द्वारा गलत व्यवहारों के संबंध में प्राप्त शिकायतों से गंभीर पर्यवेक्षी अननुमोदन हो सकते है। रिज़र्व बैंक वसूली एजेंटों को काम पर लगाने वाले उन बैंकों पर एक अस्थायी प्रतिबंध (अथवा निरंतर गलत व्यवहारों के मामले में स्थायी प्रतिबंध भी) लगाने पर विचार करेगा जहाँ निदेशकों/अधिकारियों के विरूद्ध अपने वसूली एजेंटों द्वारा किए गए गलत व्यवहारों के संबंध में उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा निंदा की गई है/आर्थिक दण्ड लगाया गया है

स्रोत : संसदीय प्रश्नोत्तरी

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**